

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

07 / 2024

श्री महावीर खण्डेलवाल निवासी 22 आदर्श मौहल्ला सूचना केन्द्र के पीछे भीलवाडा  
राज0 पिन 311001

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

—प्रत्यर्थी

## अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 1.05.2024

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई—

क्रमांक भू0अ0 6 एफ21(5)/सीमा ज्ञान/निवाई/2023/6130 में की गई जांच से सम्बन्धित सभी कागजात की सत्यापित प्रतिलिपी दिलावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई को पत्र क्रमांक 241 दिनांक 05.03.2024, 356 दिनांक 21.03.2024, 381 दिनांक 4.04.2024 व 392 दिनांक 16.04.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)

प्रथम अपील अधिकारी  
जिला कलेक्टर टोंक  
एवं जिला कलेक्टर टोंक

